

Office of the Principal Swami Vivekanand Govt College  
Susner Dist-Agar Malwa MP

Phone/Fax No. 07361-233449 Email ID hesvgcsusshg@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

Date, 29.04.2021


**CERTIFICATE**

This is certified that Scholarship and Educational incentive  
Paid/Sanctioned in Year 2019-20 are below-

SN	Name of Scheme	No. of Strength	Amount in Rs.
1	POSTMATRIC SCHOLARSHIP	770	4388109
2	GAON KI BETI	243	1205500
3	AAWAS SAHAYATA YOJNA	173	2017000
4	Mukyamantri Meghavi Yojna	49	87843
5	Mukyamantri Janklyan Yojna	52	78212

Enclosed -

1. Sanction Order

  
PRINCIPAL  
प्रधान  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (अगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-19/03/2020

No / PMS / OBC / 1237844/

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 207

कुल राशि (रुपये में )

:- 1031419

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean  
स्वा वि. शासकीय महाविद्यालय  
Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा  
(सुसनेर जिला (आगर-मालवा) प्र.प.)



**Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)**

No / PMS / OBC / 1237719/

आगर मालवा , दिनांक :-19/03/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 312

कुल राशि (रुपये में )

:- 1859778

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

**प्राचार्य**  
Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1255343/

आगर मालवा , दिनांक :-16/07/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))**

मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 23

कुल राशि (रुपये मे )

:- 135105

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढ़ाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।**

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,  
Susner, Designation: Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
Designation: Assistant Director





Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1255338/

आगर मालवा , दिनांक :-17/07/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 22

कुल राशि (रुपये मे )

:- 106388

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्टित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

**संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।**

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1244791

आगर मालवा, दिनांक :-23/04/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20  
 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
 वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 119  
 स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 428400 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 370292  
 कुल : 798692

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/18

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 04/06/2020

आगर  
 शासकीय महाविद्यालय  
 मालवा जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1244858

आगर सालवा , दिनांक :-23/04/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20  
 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
 वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 69  
 स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 162000 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 193457  
 कुल : 355457

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत ), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की जायेगी है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,  
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/12

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 04/06/2020

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) प.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1255245

आगर मालवा , दिनांक :-15/07/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20		
शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner		
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार :	New Cases
			कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	: 11
स्वीकृत राशि	:	1. निर्वाह भत्ता : 25200	2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित	: 28001
		कुल	:	53201

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत ), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



**प्रावधान**  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1255336

आगर मालवा , दिनांक :-09/07/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 10800 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 9217

कुल : 20017

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी |

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 17/07/2020

**प्राचार्य**  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1244871

आगर मालवा , दिनांक :-23/04/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 7200 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 7174

कुल : 14374

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत ), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी |

  
 प्रकाश  
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
 (सुनर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.)



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1255244

आगर मालवा , दिनांक :-08/07/2020

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र	: 2019-20
शिक्षण संस्था	: Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	: ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1
स्वीकृत राशि	: 1. निर्वाह भत्ता : 3600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 3239
कुल	: 6839

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत ), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 17/07/2020

*Sm*  
**प्राचार्य**  
 स्व. वि. शासकीय महाविद्यालय  
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Swamy Vivekanand Government College Susner  
Post Metric Scholarship for ST. (RENEW CAS) Institute Code 16806  
Of Line Sanction Order NO.25 For Academic Year 2019-20, Sanction Date : 20-07-2020  
Of Line Sanction Order

**स्वीकृति आदेश**

महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत बी0ए0 अन्तिम वर्ष अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थी कु0 इन्द्रा भिलाला पिता श्री रामचन्द्र भिलाला का आवेदन पत्र अनुसूचित जनजाति पोर्टल एम0 पी0 टॉस पर सबमिट नहीं होने के कारण जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण आगर-मालवा के निर्देशानुसार ऑफ लाईन छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है ।

S.N.	Admission Date	Student Name	Mother's Name	Samagra ID	M/F	Is Hosteller	Annual Family Income	Bank Account No.	IFSC CODE	No. of Months	M.A. Rate	Total M.A.	Total Reimbursable Fee	Total Sanction Amount
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
1	15/07/2019	Indra D/O Ramchandra	Ayodhya Bai	141518406	F	No	30000	35023211075	SBIN0030070	12	300	3600	3239	6839
Sub Total												3600	3239	6839


In Word : Six Thosand Eight Hundred Thirteen Nine.

  
प्राचार्य  
स्व. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुस्नेर-बिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1013378 Dated:27/11/2019 [Academic Year : 2019-20]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1013378

आगर मालवा , दिनांक :-27/11/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : GENERAL स्वीकृति प्रकार : नवीन प्रकरण  
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या : 32 कुल राशि (रुपयें में) : 158500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।



हस्ताक्षर एवं मुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा  
स्वा. वि. शासकीय विद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1019598 Dated:14/04/2020 [Academic Year : 2019-20]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1019598

आगर मालवा , दिनांक :-14/04/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	GENERAL	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	11	कुल राशि (रुपयें में)	:	55000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

NIC

Page 1/5

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-14/04/2020

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1016461 Dated:26/12/2019 [Academic Year : 2019-20]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1016461

आगर मालवा , दिनांक :-26/12/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	GENERAL	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	6	कुल राशि (रुपयें में)	:	29500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता, अधिकारी, जिला-आगर मालवा  
स्वा. वि. शा. महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा)



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1013082 Dated:27/11/2019 [Academic Year : 2019-20]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1013082

आगर मालवा , दिनांक :-27/11/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	86	कुल राशि (रुपयें में)	:	428500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भूगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।




हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा  
स्वा. वि. शासकीय विद्यालय  
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) प.प्र.



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1019599 Dated:14/04/2020 [Academic Year : 2019-20]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

आगर मालवा , दिनांक :-14/04/2020

क्रमांक/गा.की.बे/1019599

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )


गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	35	कुल राशि (रुपयें में)	:	172500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

  
स्वीकृतकर्ता एवं पदमुद्रा  
स्वा. वि. शोशिली महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा)

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1016287 Dated:26/12/2019 [Academic Year : 2019-20]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1016287

आगर मालवा , दिनांक :-26/12/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	35	कुल राशि (रुपयें में)	:	172000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।



हस्ताक्षर पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा  
स्वा. वि. शोषण विभाग  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) न.प्र.

Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1013349 Dated:27/11/2019 [Academic Year : 2019-20]

:: गाँव की बेटा योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1013349

आगर मालवा , दिनांक :-27/11/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटा योजना )

गाँव की बेटा योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	16	कुल राशि (रुपयें में)	:	79500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटा योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटा योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटा योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमूद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, कोषालय  
स्वा. वि. कोषालय, जिला-आगर मालवा  
सुसनेर जिला (आगर मालवा) म.प्र.



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1012887 Dated:27/11/2019 [Academic Year : 2019-20]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1012887

आगर मालवा , दिनांक :-27/11/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	5	कुल राशि (रुपयें में)	:	25000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकाारी जिला-आगर मालवा  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) का



Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1016460 Dated:26/12/2019 [Academic Year : 2019-20]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1016460

आगर मालवा , दिनांक :-26/12/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	11	कुल राशि (रुपयें में)	:	55000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प्राचार्य  
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृति अधिकारी, जिला-आगर मालवा  
सुसनेर जिला (आगर मालवा) म.प्र.


NIC

Page 1/3

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-26/12/2019

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1019189 Dated:15/02/2020 [Academic Year : 2019-20]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2020

क्रमांक/गा.की.बे/1019189

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )


गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	5	कुल राशि (रुपयें में)	:	25000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

  
हस्ताक्षर एवं प्रदत्त  
स्वीकृति, अधिकारी, जिला-आगर मालवा  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा)



Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1019188 Dated:15/02/2020 [Academic Year : 2019-20]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2020

क्रमांक/गा.की.बे/1019188

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश ( गाँव की बेटी योजना )

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	: 2019-20	शिक्षण संस्था	: Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	: ST	स्वीकृति प्रकार	: नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	: 1	कुल राशि (रुपर्य में)	: 5000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों ) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जावेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जावेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं प्रदत्त  
स्वीकृत/अधीनस्थ, जिला-आगर मालवा  
Susner जिला (आगर मालवा) 59



Sanction Order : 135921 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./135921

AGAR MALWA, दिनांक :-26/06/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2 कुल राशि (रुपयें में) : 24000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





Sanction Order : 135922 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./135922

AGAR MALWA, दिनांक :-26/06/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।



हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 137847 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./137847

AGAR MALWA, दिनांक :-06/08/2020

**विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)**

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 8 कुल राशि (रुपयें में) : 96000

**प्रमाणित किया जाता है कि :-**

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।**

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-AGAR MALWA  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





Sanction Order : 137850 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./137850

AGAR MALWA, दिनांक :-06/08/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 4 कुल राशि (रुपयें में) : 44000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 139586 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./139586

AGAR MALWA, दिनांक :-29/09/2020

**विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)**

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 11000

**प्रमाणित किया जाता है कि :-**

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।**



हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला: AGAR MALWA  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 139587 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./139587

AGAR MALWA, दिनांक :-29/09/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।


शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2 कुल राशि (रुपयें में) : 24000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 136434 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./136434

AGAR MALWA, दिनांक :-07/07/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 72 कुल राशि (रुपयें में) : 810000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA

स्वा. ति. [Redacted]

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय

सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 136406 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./136406

AGAR MALWA, दिनांक :-07/07/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 83 कुल राशि (रुपयें में) : 996000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।



हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी का पता :- AGAR MALWA  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर -मालवा) म.प्र.

## Swami Vivekanand Govt College Susner Dist-Agar Malwa MP

### Mukhya Mantri Medhavi Vidyarthi Yojna 2019-20

#### Sanction Order

S.No.	Sanction Number	Sanction Date	Action Remarks	Applicant ID	Student Name	DOB	Father	Mother	Category	Remarks	Course
1	249125	14/01/2020	OK	3044149	RUKMAN CHOUHAN	18/06/2001	RAMNATHSINGHCHOUHAN	BHANWARKUNWAR	GENERAL	1799	BIO
2	249124	14/01/2020	OK	3178141	POOJA CHOUHAN	20/07/2000	UMARAVSINGHJI	SUNITABAI	GENERAL	1799	BIO
3	242485	24/12/2019	ok	3774021	MAHI JAIN	30/01/2002	RAKESHJAIN	RITUJAIN	GENERAL	1749	BIO
4	242482	24/12/2019	ok	3044276	HARISH SHARMA	20/12/2001	PAPPUJI	SAJANBAI	GENERAL	1871	Math
5	234725	20/12/2019	OK	3044191	RAJESH SHARMA	2/5/2000	PURALAL	SHANTABAI	GENERAL	1871	Math
6	225229	2/12/2019	OK	3582799	ISHA JAIN	4/6/2002	RAKESHJAIN	BABITABAI	GENERAL	1725	Math
7	224129	29/11/2019	OK	2574369	RAJKUNWAR BAGDAWAT	4/6/2000	GOVINDSINGH	SHOBHA	OBC	1875	Math
8	223936	29/11/2019	OK	2572543	TASKIN BEE	30/08/1999	YUNUSANSARI	SHAHIDABEE	OBC	1899	BIO
9	223657	28/11/2019	OK	3504031	PRANSHI PANDEY	27/07/2001	DEEPAK	MANGALA	GENERAL	1749	BIO
10	223274	28/11/2019	OK	3510172	ANSHIKA JAGTAP	21/01/2002	MUKESHJAGTAP	KOKILAJAGTAP	GENERAL	1785	Math
11	223273	28/11/2019	OK	2577400	VISHNU NA	3/7/1997	GOKULSINGH	JASKUNWAR	OBC	1899	BIO
12	222951	27/11/2019	Verified	2574093	DEVAN KUSHWAH	25/07/2000	KAILASHCHAND	NIRMALABAI	OBC	1875	Math
13	222949	27/11/2019	Verified	2574372	ANTIMBALA NA	12/5/2000	OMPRAKASH	MANKUNWARBAI	OBC	1327	Comme
14	222947	27/11/2019	Verified	2554545	PRATIK RATHORE	18/04/2001	KAMLESH	SEEMA	OBC	1971	Math
15	215655	14/11/2019	Sanction	2574079	RANU CARPENTAR	1/4/1998	RAMESHWAR	RUKMA	OBC	1875	Math
16	215654	14/11/2019	Sanction	2574035	NIKITA PATIDAR	7/2/2001	PAPPUPATIDAR	GAYATRI PATIDAR	OBC	1875	Math
17	215653	14/11/2019	Sanction	2557798	RANI PATIDAR	4/2/2001	MOHANLAL	KRISHNABAI	OBC	1899	Math
18	215652	14/11/2019	Sanction	3044124	ABDUL UMAR FARUKHKHAN	11/6/2001	ABDULFIROZKHAN	SHAHANABEE	GENERAL	1821	Math
19	215648	14/11/2019	Sanction	2574376	TEENA NA	3/7/1999	SALIGRAM	LEELABAI	SC	1875	Math
20	215647	14/11/2019	Sanction	2574373	MUSKAN JAIN	7/5/1999	MAHAVIRJAIN	MANJUJAIN	GENERAL	1875	Math
21	215646	14/11/2019	Sanction	2575345	LAVISHA BHAWSAR	26/06/2001	DEEPAK	SANTOSH	OBC	1875	Math
22	215645	14/11/2019	Sanction	3504835	RANI SHARMA	20/12/2001	VISHNUPRASADSHARMA	MANJUBAI	GENERAL	1177	B A
23	215644	14/11/2019	Sanction	3041006	NISHA PATIDAR	28/04/2000	JAGDISH	NIRMALABAI	OBC	1775	Math
24	215643	14/11/2019	Sanction	3044092	DARSHANA JAIN	15/08/2001	MAHENDRAJAIN	ANITAJAIN	GENERAL	1775	Math
25	215642	14/11/2019	Sanction	2570699	SHILPA RAJPUT	2/9/1999	YOGENDRASINGH	SUREKHAKUNWAR	GENERAL	1875	Math

*(Signature)*



2

26	215641	14/11/2019	Sanction	3040890	SAPNA SHARMA	10/4/2002	SITARAM	DHAPUBAI	GENERAL	1799	BIO
27	215640	14/11/2019	Sanction	3044207	PREETI JAIN	6/5/2000	MOTILALJAIN	RENUJAIN	GENERAL	1799	BIO
28	215639	14/11/2019	Sanction	3041520	PINKI JAIN	10/7/2000	RAJESHJAIN	RAJULJAIN	GENERAL	1775	Math
29	215638	14/11/2019	Sanction	3043040	ALSHIFA QURESHI	19/01/2000	WAHIDQURESHI	FERJANABEE	GENERAL	1775	Math
30	215637	14/11/2019	Sanction	2575344	NIKITA NA	6/4/2000	ASHOK	KRISHNABHAWSAR	OBC	1899	BIO
31	215636	14/11/2019	Sanction	2574226	KAVITA PATIDAR	24/08/1999	GAJANAND	RAMKANYABAI	OBC	1327	B A
32	215635	14/11/2019	Sanction	3049414	MAMTA SONGARA	14/01/2001	BHANWARSINGH	GOVINDKUNWAR	GENERAL	1799	BIO
33	215634	14/11/2019	Sanction	3044275	CHANCHAL KELWA	23/04/2001	BHUPENDRASINGHKELWA	AJABKUNWAR	GENERAL	1799	BIO
34	215633	14/11/2019	Sanction	2573716	SALONI MALI	29/06/2000	RAMESHCHAND	MAMTABAI	OBC	1899	BIO
35	215632	14/11/2019	Sanction	2573774	KAVITA SONI	18/02/1999	KAILASHSONI	HIRAMANI	OBC	1899	BIO
36	215631	14/11/2019	Sanction	3139890	RAJAT JAIN	30/04/1999	RAJESHJAIN	RAKHIJAIN	GENERAL	1871	Math
37	215630	14/11/2019	Sanction	2577392	SELEENA KHANAM	6/10/2000	AKHALAKKHAN	SHAMEENA	GENERAL	1899	BIO
38	215629	14/11/2019	Sanction	2570622	SUMAN BHYANJA	20/07/2000	RAMESHCHANDRA	SHYAMA	SC	1899	BIO
39	215628	14/11/2019	Sanction	3033849	NIDHI JOSHI	5/9/2000	SHARAD	RUKMANI	GENERAL	1799	BIO
40	215627	14/11/2019	Sanction	3033834	NANDINI JOSHI	5/9/2000	SHARAD	RUKMANI	GENERAL	1799	BIO
41	215626	14/11/2019	Sanction	2573978	MUSKAN MANSURI	5/8/1999	ISARAILMANSURI	SARIPANBEE	OBC	1899	BIO
42	215625	14/11/2019	Sanction	2573918	REENA RATHORE	4/3/2000	MOHANLAL	GUDDIBAI	OBC	1899	BIO
43	215624	14/11/2019	Sanction	2572599	FIRDOS ANSARI	15/11/1999	SHAHJADANSARI	SHAHNAJANSARI	OBC	1899	BIO
44	215623	14/11/2019	Sanction	2554460	RAM SUKHEE PATIDAR	2/3/2000	GOPALPATIDAR	LEELABAI	OBC	1899	BIO
45	215622	14/11/2019	Sanction	3027666	HEENA MIRJA	28/06/2000	RASIDBEG	FEMIDABEE	GENERAL	1227	B A
46	215621	14/11/2019	Sanction	2574094	ROHIT KANUDIYA	15/12/1999	ASHOKJI	YASHODABAI	OBC	1995	BIO
47	215620	14/11/2019	Sanction	2582532	ANKITA PANCHOLI	15/06/1999	JAGDISH	VIDHYA	GENERAL	1899	BIO
48	215619	14/11/2019	Sanction	3041513	SAKSHI JAIN	24/08/2000	MAHAVEERJAIN	MEENAJAIN	GENERAL	1775	Math
49	215618	14/11/2019	Sanction	2580326	JASWANT SINGH	15/03/2000	GOPALSINGH	BHARATBAI	OBC	1423	B A
										87843	

  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
मुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

## Swami Vivekanand Govt. College Susner Dist-Agar Malwa MP

## Mukhya Mantri Jankalyan Yojna 2019-20


1

## Sanction Order

S.No.	Academic Year	Sanction Number	Sanction Date	Applicant ID	Application Number	Student Name	DOB	Father	Mother	Category	Amount	Course
1	2019-20	10037858	13/03/2020	3169360	10059502 (तृतीय)	REENA SHARMA	6/11/2001	SHIVNARAYANJI	LILABAI	GENERAL	1799	Bio
2	2019-20	10037857	13/03/2020	3169362	10059428 (तृतीय)	MANOJ SHARMA	6/5/1999	SHIVNARAYAN	LILABAI	GENERAL	1423	B.A.
3	2019-20	10036361	19/02/2020	3044587	10048023 (तृतीय)	AKSHITA SHARMA	7/9/2002	RAJENDRASHARMA	SUNITA SHARMA	GENERAL	1775	Math
4	2019-20	10035619	3/2/2020	3801926	10057228	POOJA SHARMA	5/5/2002	SHIVNARAYAN	RAMUBAI	GENERAL	1177	B.A.
5	2019-20	10035446	29/01/2020	3049412	10059676 (तृतीय)	AJAY SHARMA	21/09/2000	RADHESHYAMJI	REKHABAI	GENERAL	1895	Bio
6	2019-20	10035065	23/01/2020	3822581	10059107	SAPNA NA	29/09/2000	BRAJMOHAN	GAYATRIBAI	GENERAL	1177	B.A.
7	2019-20	10035021	22/01/2020	3036305	10057975 (तृतीय)	SARITA CHOUHAN	3/3/2001	NANDSINGH CHOUHAN	BHAGWANKU NWARDHOHAN	GENERAL	1775	Math
8	2019-20	10035018	22/01/2020	3217089	10057977 (तृतीय)	FIRDOS NA	30/07/1999	RAISEKHAN	HASINABEE	GENERAL	1227	B.A.
9	2019-20	10034983	21/01/2020	3044135	10057385 (तृतीय)	POOJA KUNWAR DODIYA	1/4/2000	HOKAMSINGHDODIYA	GIRIJAKUNVAR	GENERAL	1799	Bio
10	2019-20	10034964	21/01/2020	3049416	10057993 (तृतीय)	MANISHA JAIN	17/08/2000	ANILJAIN	URMILAJAIN	GENERAL	1799	Bio
11	2019-20	10034962	21/01/2020	3046632	10057657 (तृतीय)	SANJAY SHARMA	10/8/2000	SITARAMJI	AVANTIBAI	GENERAL	1895	Bio
12	2019-20	10034961	21/01/2020	3170916	10057944 (तृतीय)	SHOBHA SHARMA	13/02/2000	NANDKISHORE	MANGIBAI	GENERAL	1227	B.A.
13	2019-20	10034960	21/01/2020	3040962	10045917 (तृतीय)	RUBEENA PATHAN	14/06/1996	SABIRPATHAN	BINNOBEE	GENERAL	1327	B.A.
14	2019-20	10033483	16/01/2020	3042825	10046307 (तृतीय)	RAVINA JAIN	5/7/1998	SUKUMALJAIN	SHYAMAJAIN	GENERAL	1327	B.A.
15	2019-20	10033448	16/01/2020	3796488	10057069	AKRAM ULLA KHAN	10/7/2002	RAISULLAKHAN	RUKHASANABEE	GENERAL	1273	Commerc
16	2019-20	10033175	13/01/2020	3044274	10057662 (तृतीय)	KAPIL SHARMA	12/6/2002	SATYANARAYAN	MUNNABAI	GENERAL	1895	Bio
17	2019-20	10033170	13/01/2020	3801846	10057225	MUNVVAR SHEKH	7/3/2002	ABDULALIMKHA	KHERUNNISHA	GENERAL	1273	Commerc
18	2019-20	10032846	10/1/2020	3044273	10057414 (तृतीय)	KAMAL SINGH SONDHIYA	15/08/2002	KARANSINGH	MANGUBAI	OBC	1895	Bio
19	2019-20	10032584	7/1/2020	3801945	10057329	NITISH SHARMA	1/7/2001	HEMRAJSHARMA	GAYATREESHARMA	GENERAL	1845	Bio

20	2019-20	10032580	7/1/2020	3802536	10057248	SALMAN KHAN	23/11/2000	SALEEMKHAN	RUKSANABEE	GENERAL	1273	B.A.
21	2019-20	10032579	7/1/2020	3041108	10057061 (तृतीय)	SHIVANI JAIN	20/07/2002	SANJAYKUMAR	INDRAJAIN	GENERAL	1799	Bio
22	2019-20	10032474	6/1/2020	3797255	10056991	TANIYA QAJI	19/11/2000	VALIMOHAMMADQAJI	KHALIKUNBE E	GENERAL	1725	Math
23	2019-20	10032473	6/1/2020	3800353	10057125	TABASSUM SHEKH	18/10/1999	HANIFSHEKH	CHANDBEE	GENERAL	1725	Math
24	2019-20	10032468	6/1/2020	3042829	10057191 (तृतीय)	BHOLA SHARMA	7/9/2000	JAGDISHJI	DEVBAI	GENERAL	1871	Math
25	2019-20	10032416	6/1/2020	3027372	10056909 (तृतीय)	KAVITA SHARMA	26/03/1999	SURESHCHANDRA	MAMTABAI	GENERAL	1227	B.A.
26	2019-20	10032415	6/1/2020	3027282	10056907 (तृतीय)	POOJA NA	19/02/2000	SURESHCHANDRASH ARMA	MAMTABAI	GENERAL	1227	B.A.
27	2019-20	10032412	6/1/2020	3800185	10057117	GEETANSHRI GARUD	21/03/2001	DHARMENDRARAOG ARUD	SONALIGARU D	GENERAL	1749	Bio
28	2019-20	10032409	6/1/2020	3731836	10057109	KAPIL SHARMA	12/6/2002	SATYANARAYANSHA RMA	SIDDUBAI	GENERAL	1273	B.A.
29	2019-20	10032366	4/1/2020	3798964	10057105	CHE TAN JAIN	9/3/2002	RAJESHJAIN	RAJULJAIN	GENERAL	1821	Math
30	2019-20	10032365	4/1/2020	3796360	10056944	LAXMAN SINGH	5/8/2000	BALVANTSINGH	VISHNUKUNW AR	GENERAL	1273	B.A.
31	2019-20	10032362	4/1/2020	3792227	10056829	FARHIN BEE	28/11/2000	ABDULGANIKHAN	RAJEDABEE	GENERAL	1177	B.A.
32	2019-20	10032320	4/1/2020	3044775	10056652 (तृतीय)	DEEPAK NA	23/10/1999	SHYAMKUMAR	MITHLESH	GENERAL	1323	Commerc
33	2019-20	10031888	2/1/2020	3770150	10055890	CHAYA SHARMA	17/09/2000	MAHENDRAJI	LALITASHAR MA	GENERAL	1177	B.A.
34	2019-20	10031800	1/1/2020	3794517	10056874	VIKAS VYAS	26/01/2000	BALARAM	AVANTIKABAI	GENERAL	1821	Math
35	2019-20	10031796	1/1/2020	3794393	10056869	TANISHA JAIN	3/8/2001	NIRMALJAIN	SHOBHAJAIN	GENERAL	1749	Bio
36	2019-20	10031641	31/12/2019	3790580	10056728	KULDEEP SHARMA	8/12/2001	ASHISHJI	REKHABAI	GENERAL	1273	B.A.
37	2019-20	10031407	27/12/2019	3783450	10056489	REENA SHARMA	10/6/1994	BHAGWANLAL	UMABAI	GENERAL	1177	B.A.
38	2019-20	10031245	26/12/2019	3780906	10056332	GOVIND AGRAWAL	17/01/2000	ASHOKAGRAWAL	GIRIJABAI	GENERAL	1273	Commerc
39	2019-20	10031168	24/12/2019	3167921	10056065 (तृतीय)	SHIVAM SHARMA	13/02/2000	RAVINDRA	ARUNADEVI	GENERAL	1323	Commerc
40	2019-20	10031167	24/12/2019	3773845	10056034	DARSHIKA SINGH	7/7/2001	ALKARSINGH	BEBIKUNWAR	GENERAL	1177	B.A.
41	2019-20	10031163	24/12/2019	3773587	10056014	BHUMIKA JAJU	20/10/2001	KRISHNAMURARIJAJ U	NISHAJAJU	GENERAL	1177	B.A.
42	2019-20	10030393	19/12/2019	3765210	10055798	SUDHA SHARMA	5/8/2001	SIDDHNATHJI	HARKUNWAR	GENERAL	1177	B.A.

43	2019-20	10030392	19/12/2019	3767749	10055770	FIZA BEE	12/11/2000	HAFIZULLAH	SHABNAMBE E	GENERAL	1749	Bio
44	2019-20	10030062	16/12/2019	3751658	10055319	ANSHUL SHARMA	8/3/2000	GOVERDHANLAL	DHAPUBAI	GENERAL	1273	B.A.
45	2019-20	10028878	2/12/2019	3046224	10050606 (तृतीय)	MAHJMA KUSHWAH	23/11/2001	JITENDRAJI	KAVITAKUSH WAH	GENERAL	1799	Bio
46	2019-20	10028874	2/12/2019	3041521	10046868 (तृतीय)	KASHISH JAIN	24/04/2001	KAILASHJAIN	NEETADEVI	GENERAL	1799	Bio
47	2019-20	10028873	2/12/2019	3218482	10046285 (तृतीय)	RADHA RANI SHARMA	15/06/2001	VIRENDRAJI	NIRMALASHA RMA	GENERAL	1227	Commerc
48	2019-20	10028866	2/12/2019	3235029	10050453 (तृतीय)	POOJA SHARMA	1/11/1997	BRAJMOHAN	GAYATRIBAI	GENERAL	1327	B.A.
49	2019-20	10028865	2/12/2019	3036251	10046751 (तृतीय)	ASMA BEE	27/06/1997	YUSUFALI	RIJWANABEE	GENERAL	1327	B.A.
50	2019-20	10028864	2/12/2019	3029242	10046415 (तृतीय)	UJMA BEE	20/03/1999	YUSUFALI	RIZWANA	GENERAL	1227	B.A.
51	2019-20	10028863	2/12/2019	3042813	10047952 (तृतीय)	SHAMIM NA	2/5/1999	PARWEZAHMAD	ZAREENABEE	GENERAL	1899	Bio
52	2019-20	10028862	2/12/2019	3046634	10046540	JAGDISH SHARMA	1/8/1999	BHAGWANLAL	SOHANBAI	GENERAL	1995	Bio
<b>Total-</b>											<b>78212</b>	

  
 प्राचार्य  
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.